


श्री सुनील जाटवा  
अभिजात कर्तार  
कृषि इंजीनियर

निगरानी प्रकरण क्र. : निज. 1837-PDR

पेशी दिनांक : 13.06.2014

माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.) के समक्ष



मांगूसिंह पिता बापूसिंह  
उम्र : 70 वर्ष, धंधा - कृषि  
निवासी : ग्राम अरंडिया तह. व जिला इन्दौर

2. जखवंत पिता मांगूसिंह  
उम्र : वयस्क, धंधा - कृषि  
निवासी : ग्राम अरंडिया तह.  
व जिला इन्दौर  
--निगरानीकर्ता/प्रतिप्रार्थीगण



20/11 विरुद्ध

1. इन्दरसिंह पिता नारायणसिंह  
आयु - वयस्क, धंधा - कृषि

2. गोवर्धन पिता नारायणसिंह  
आयु - वयस्क, धंधा - कृषि

3. मेहताब पिता नारायणसिंह  
आयु - वयस्क, धंधा - कृषि

4. बापूसिंह पिता देवीसिंह  
आयु - वयस्क, धंधा - कृषि

5. धनसिंह पिता देवीसिंह  
आयु - वयस्क, धंधा - कृषि

6. गजराज पिता देवीसिंह  
आयु - वयस्क, धंधा - कृषि

7. करणसिंह पिता देवीसिंह  
आयु - वयस्क, धंधा - कृषि

8. हरिसिंह पिता देवीसिंह  
आयु - वयस्क, धंधा - कृषि

9. बापूसिंह पिता इन्दूसिंह  
आयु - वयस्क, धंधा - कृषि

10. दशरथ पिता इन्दूसिंह  
आयु - वयस्क, धंधा - कृषि

h.say

निरंतर.....2

( 2 )

11. मांगू पिता नवसिंह  
आयु - वयस्क, धंधा - कृषि  
सभी निवासी : ग्राम अरंडिया  
तह. व जिला इन्दौर

--रेस्पॉन्डेन्ट/प्रत्यर्थागण

पुनरीक्षण धारा 50(1) मध्य प्रदेश भूराजस्व संहिता 1959  
के तहत

माननीय महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह पुनरीक्षण माननीय तहसीलदार महोदय (श्री राजकुमार हल्दर साहब) तहसील व जिला इन्दौर द्वारा पारित राजस्व प्रकरण क्रमांक 6/अ-13/13-14 में पारित आदेश दिनांक 07.06.2014 से असंतुष्ट एवं दुःखीत होकर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह पुनरीक्षण निम्न तथा अन्य आधारों पर निम्नानुसार सादर प्रस्तुत करते हैं :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग 1837-पीबीआर/14

जिला इंदौर

स्थान तथा  
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं  
अभिभाषकों  
आदि के  
हस्ताक्षर

21-11-2014

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदकगण की ओर से यह निगरानी प्रस्तुत कर तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 7-6-2014 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है और अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा कहा जा रहा है कि आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर ली जाये। अतः अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक के अनुरोध के अनुरूप तहसीलदार का आदेश दिनांक 7-6-2014 निरस्त किया जाता है। निगरानी स्वीकार की जाती है।

  
(स्वदीप सिंह)  
अध्यक्ष